9C

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 2024 समुकाअ/चिप्स/2020 रायपुर, दिनांक 25/ 11 /2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी,
कोरिया वन मंडल, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़

विषय : कोरिया जिले के कोरिया वन मंडल अंतर्गत भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.746 हे वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42198/2019

संदर्भ : छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ–5–24/2020/10–2 दिनांक 09.10.2020।

–00–

महोदय,

विषयान्तर्गत अवगत हो कि भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसे आपके द्वारा अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र के के परिपालन में उक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ शासन, वन विभाग द्वारा जो जानकारी चाही गई है उसका विवरण निम्नानुसार है –

बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 8 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 105 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। (जैसे कक्ष क्र. 461 दो बार, 570 दो बार, 572A 3 बार एवं P576 का विवरण 4 बार दिया गया है) इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है । उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग–II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :– (संदर्भित पत्र में उल्लेखित 10 कॉलम में तालिका)	प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य में केबल कोई एक वन कक्ष में एक से अधिक बार गुजरने की स्थिति में कक्ष के अलग अलग भूखंडो की गणना अलग अलग की गई है। अतः एक ही कक्ष की प्रविष्टि अनेक बार की गई है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–829/1783 नवा रायपुर दिनांक 07102020 तथा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–8/2020/10–2 दिनांक 21.09. 2020 के परिपालन में बिंदु –3 में

वन मण्डलाधिकारी कोरिया वन मंडल बैकुण्ठपुर — आवक क्रमांक

Scanned with CamScanner

	उस तालिका में कक्ष क्र. की पुनरावृत्ति नही होगी तथा आवेदित वन भूमि का विवरण कक्षवार एकजाई हो सकेगा जिससे राज्य शासन से जारी किये जाने वाले अनुमति पत्र में एक कक्ष के कुल एकजाई रकबा का एक बार वर्णन दर्ज हो सकेगा। यहा यह उल्लेखनीय है कि भारत नेट परियोजना फेस के तहत राज्य शासन को प्रेषित किये जा रहे भारत नेट परियोजना के समस्त प्रकरणों में इसी तरह का(आवेदित वन क्षेत्र) विवरण भेजा जा रहा है। पूर्व में धमतरी वनमंडल के प्रकरण में भी ऐसा ही विवरण होने पर आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि को मंत्रालय में उपस्थित किया जाकर उपरोक्तानुसार सुधार करवाया गया तथा समझाईश दी गई कि. आगामी प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में इसकी पुनरावृत्ति न हो किंतु उक्त त्रुटि का सुधार नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त त्रुटि को संशोधित कर राज्य शासन को भेजे जाने वाले प्रकरणों में भी उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित करना सुनिश्चित करें।	उल्लेखित 10 कॉलम मय तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 9 में गैर वन क्षेत्र हेतु 18.04 हे. प्रभावित दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत विवरण संलग्न प्रेषित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न भाग-1 में ग्रामवार वन गैर क्षेत्र का विवरण का उल्लेख किया गया है।
3	संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 11 में अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 55 में प्रदायित वनमंडलाधिकारी के अनुशंसा (भाग-2) के बिंदु क्र VI में घनत्व 0..5 से अधिक है।	वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 55 में प्रदायित (भाग-2) के बिंदु क्र VI में घनत्व 0..5 से अधिक है। कार्यालय प्र.मु.व.सं. छत्तीसगढ़ के पत्र क्र/ भू-प्रबंध/विविध/115-827/1529 नवा रायपुर दिनांक 18.08.2020 के बिंदु क्र. 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है । जो कि टंकण त्रुटि है। उक्त त्रुटि को सम्बंधित कार्यालय से संशोधित किया जावेगा।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में लेख है कि मार्ग (लम्बाई 39. 719 किमी. तथा क्षेत्रफल 1.986 वर्ग किमी. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 किमी. के परिधि के अंतर्गत स्थित है कृपया इस सम्बन्ध में में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त प्रेषित करें।	आवेदित क्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 किमी. के परिधि के अंतर्गत स्थित है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. रूट विद्यमान मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही किया जावेगा केबल बिछाने के कार्य भूमिगत सामानांतर ड्रिलिंग तकनीक से वन अधिकारियो की जानकारी एवं देखरेख में किया जावेगा जिससे वन्यप्राणी एवं जैव

Scanned with CamScanner

		विविधता को किसी प्रकार की क्षति न हो। आवेदित क्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अन्दर से या उसके सीमा से होकर नहीं गुजर रहा है अतः इस सम्बन्ध में में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ 78 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र रकबा 4.680 हे. के लिए प्रदाय किया गया है जबकि कुल आवेदन 4.746 हे.हेतु आवेदित है।	कलेक्टर, जिला कोरिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत केवल वनभूमि का रकबा 4.680 हे. के लिए अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है जबकि कुल आवेदन 4.746 हे. हेतु आवेदित है। शेष राजस्व वन भूमि रकबा 0.660 हे. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन से साथ प्रस्तुत किया जावेगा।
6	संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 21 में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6–175/2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करे। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है कृपया स्थिति स्पष्ट करे	भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6–175/2017 WL, दिनांक 19.02.2018 में उल्लेख किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के राईट ऑफ वे में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्र जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, के अन्दर से बिछाये जाने के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 6 बिन्दुओ में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध), अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ

Scanned with CamScanner

कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित वन क्षेत्र का विवरण									
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (कि.मी.)	चौड़ाई (कि.मी.)	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोरिया	कोरिया	खडगवॉं	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	651	1.642	0.0005	0.082
2			खडगवॉं	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	652	1.922	0.0005	0.096
3			खडगवॉं	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	653	1.001	0.0005	0.050
4			खडगवॉं	कोड़ा आ.वन	आरक्षित वन	595	1.893	0.0005	0.095
5			खडगवॉं	कोड़ा आ.वन	आरक्षित वन	608	0.577	0.0005	0.029
6			खडगवॉं	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	625	0.325	0.0005	0.016
7			खडगवॉं	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	626	1.117	0.0005	0.056
8			खडगवॉं	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	629	2.008	0.0005	0.100
9			खडगवॉं	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	631	1.084	0.0005	0.054
10			खडगवॉं	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	633	2.411	0.0005	0.121
11			खडगवॉं	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	635	3.404	0.0005	0.170
12			खडगवॉं	पाराडोल आ.वन	आरक्षित वन	584	0.566	0.0005	0.028
13			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	456	0.59	0.0005	0.029
14			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	460	0.116	0.0005	0.006
15			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	461	0.385	0.0005	0.0195
16			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	463	0.547	0.0005	0.027
17			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	564	1.266	0.0005	0.063
18			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	569	2.54	0.0005	0.127
19			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	570	0.336	0.0005	0.017
20			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	572A	2.464	0.0005	0.124
21			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	572B	2.713	0.0005	0.135
22			चिरमिरी	बुन्दिरा वहरा आ. वन	आरक्षित वन	545	0.642	0.0005	0.032
23			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	577	2.306	0.0005	0.115
24			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	578	0.748	0.0005	0.037
25			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	579	0.877	0.0005	0.044
26			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	580	0.628	0.0005	0.031
27			चिरमिरी	पाराडोल आ.वन	आरक्षित वन	554	0.492	0.0005	0.025
28			चिरमिरी	पाराडोल आ.वन	आरक्षित वन	560B	1.302	0.0005	0.065
29			सोनहत (पी)	बेलिया आ.वन	आरक्षित वन	244	0.009	0.0005	0.0005

Scanned with CamScanner

30			सोनहत (पी)	बेलिया आ.वन	आरक्षित वन	245	1.081	0.0005	0.054
31			सोनहत (पी)	सोनहत आ.वन	आरक्षित वन	254	0.157	0.0005	0.008
32			देवगढ़	केवराबहरा आ.वन	आरक्षित वन	410	0.856	0.0005	0.043
33			देवगढ़	केवराबहरा आ.वन	आरक्षित वन	411	1.986	0.0005	0.099
34			देवगढ़	केवराबहरा आ.वन	आरक्षित वन	412	1.084	0.0005	0.054
35			देवगढ़	कैलासपुर आ.वन	आरक्षित वन	368	2.366	0.0005	0.118
36			देवगढ़	परगरगवां आ.वन	आरक्षित वन	365	0.738	0.0005	0.037
37			देवगढ़	परगरगवां आ.वन	आरक्षित वन	366	0.225	0.0005	0.011
38			देवगढ़	सोनारी आ.वन	आरक्षित वन	417	2.052	0.0005	0.103
39			देवगढ़	सोनारी आ.वन	आरक्षित वन	419	1.399	0.0005	0.070
40			देवगढ़	लटमा आ.वन	आरक्षित वन	421	0.364	0.0005	0.018
41			देवगढ़	लटमा आ.वन	आरक्षित वन	422	0.465	0.0005	0.023
				योग			**48.684**	**0.0005**	**2.432**
42	कोरिया	कोरिया	खडगवॉं	खडगवॉं सं.वन	संरक्षित वन	P638	1.009	0.0005	0.050
43			खडगवॉं	खडगवॉं सं.वन	संरक्षित वन	P640	5.239	0.0005	0.263
44			खडगवॉं	खडगवॉं सं.वन	संरक्षित वन	P642	0.147	0.0005	0.007
45			खडगवॉं	बोड़ेमुण्डा सं वन	संरक्षित वन	P644	0.889	0.0005	0.044
46			खडगवॉं	कोटेया सं.वन	संरक्षित वन	P645	1.147	0.0005	0.057
47			खडगवॉं	कटकोना सं वन	संरक्षित वन	P620	1.976	0.0005	0.099
48			खडगवॉं	रटबा सं.वन	संरक्षित वन	P589	1.518	0.0005	0.076
49			खडगवॉं	रटबा सं.वन	संरक्षित वन	P590	1.199	0.0005	0.060
50			खडगवॉं	दुबछोला सं.वन	संरक्षित वन	P641	0.541	0.0005	0.027
51			खडगवॉं	चोपन सं.वन	संरक्षित वन	P649	1.391	0.0005	0.070
52			खडगवॉं	नशेलपुर सं.वन	संरक्षित वन	P660	0.292	0.0005	0.015
53			खडगवॉं	अंजनीपुर सं वन	संरक्षित वन	P643	0.59	0.0005	0.030
54			खडगवॉं	लकडापारा सं.वन	संरक्षित वन	P624	0.974	0.0005	0.049
55			खडगवॉं	लोटाबहरा सं वन	संरक्षित वन	P661	0.56	0.0005	0.028
56			चिरमिरी	कदरेवा सं.वन	संरक्षित वन	P563	0.737	0.0005	0.037
57			चिरमिरी	महामाया सं.वन	संरक्षित वन	P575	0.748	0.0005	0.037
58			चिरमिरी	रिसाघाट सं.वन	संरक्षित वन	P576	0.896	0.0005	0.045
59			चिरमिरी	जुडवानिया सं.वन	संरक्षित वन	P546	0.213	0.0005	0.011
60			सोनहत (पी)	रजौली सं.वन	संरक्षित वन	P259	1.276	0.0005	0.064
61			सोनहत (पी)	अमहर सं.वन	संरक्षित वन	P257	3.401	0.0005	0.170
62			सोनहत (पी)	अमहर सं.वन	संरक्षित वन	P258	1.176	0.0005	0.059

Scanned with CamScanner

63			देवगढ़	घुघरा सं वन	संरक्षित वन	P416	0.423	0.0005	0.021
64			देवगढ़	बसवाही सं.वन	संरक्षित वन	P345	1.704	0.0005	0.085
65			देवगढ़	बसवाही सं.वन	संरक्षित वन	P420	0.34	0.0005	0.017
66			देवगढ़	काचरडांड सं वन	संरक्षित वन	P415	1.09	0.0005	0.055
67			देवगढ़	कैलासपुर सं वन	संरक्षित वन	P370	0.227	0.0005	0.011
68			देवगढ़	पाराडोल सं वन	संरक्षित वन	P344	1.051	0.0005	0.053
69			देवगढ़	दामुज सं वन	संरक्षित वन	P414	0.694	0.0005	0.035
70			देवगढ़	दुलहीधार सं वन	संरक्षित वन	P408	1.131	0.0005	0.057
71			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P374	1.307	0.0005	0.066
72			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P376	2.306	0.0005	0.115
73			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P378	2.45	0.0005	0.123
74			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P379	2.179	0.0005	0.109
75			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P381	0.49	0.0005	0.024
76			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P383	0.015	0.0005	0.001
77			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P385	0.696	0.0005	0.035
78			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P386	1.979	0.0005	0.099
79			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P405	0.882	0.0005	0.044
				योग			**44.883**	**0.0005**	**2.248**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (कि.मी.)	चौड़ाई (कि.मी.)	रकबा (हे.)
1	कोरिया	कोरिया	सोनहत	बसवाही	राजस्व वन	64	0.081	0.0005	0.004
2			सोनहत	बसवाही	राजस्व वन	104	0.07	0.0005	0.003
3			सोनहत	बसवाही	राजस्व वन	105	0.052	0.0005	0.003
4			सोनहत	भुंइहारीपारा	राजस्व वन	78	0.057	0.0005	0.003
5			सोनहत	भुंइहारीपारा	राजस्व वन	74	0.17	0.0005	0.008
6			सोनहत	तर्रा	राजस्व वन	170	0.049	0.0005	0.002
7			खडगवॉं	खडगवॉं	राजस्व वन	408	0.054	0.0005	0.003
8			खडगवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	105	0.197	0.0005	0.010
9			खडगवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	130	0.107	0.0005	0.005
10			खडगवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	750	0.03	0.0005	0.002
11			खडगवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	757	0.167	0.0005	0.008
12			खडगवॉं	आमाडांड	राजस्व वन	291	0.13	0.0005	0.006
13			खडगवॉं	आमाडांड	राजस्व वन	273	0.068	0.0005	0.003

Scanned with CamScanner

14			खडगवॉ	आमाडांड	राजस्व वन	356	0.027	0.0005	0.001
15			खडगवॉ	आमाडांड	राजस्व वन	342	0.097	0.0005	0.005
योग							**1.356**	**0.0005**	**0.066**
कुल योग							**94.923**	**0.0005**	**4.746**

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

Scanned with CamScanner

07/11

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–24/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 2.248 हे., आरक्षित वन भूमि 2.432 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.66 हे. कुल 4.746 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/1674, दिनांक 14.09.2020 ।

—00—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 8 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 105 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। (जैसे कक्ष क्र. 461 दो बार, 570 दो बार, 572 A 3 बार एवं P 576 का विवरण 4 बार दिया गया है।) इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है ।

उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग–II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :–

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	हेक्टेयर (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

APCCF (L/M)

PCCF

4842
5-11-2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर छ.ग.
आवक क्र. ______
दिनांक ______

Scanned with CamScanner

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है।

~~संलग्नः– उपरोक्तानुसार।~~
~~(प्रस्ताव मूलतः 2 प्रतियों में)।~~

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक /10/2020

पृष्ठां.कमांक एफ–5–24/2020/10–2

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

Scanned with CamScanner

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार

भाग – II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42198

7.	परियोजाना/स्कीम का स्थान	भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – II कोरिया वनमण्डल
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	कोरिया
iii	वन प्रभाग	कोरिया वनमण्डल कोरिया, परिक्षेत्र–बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां, सोनहत (पी)
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	कोरिया वनमण्डल – 4.746 हे. संरक्षित वन – 2.248 हे. आरक्षित वन – 2.432 हे. राजस्व वन – 0.066 हे.
v	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वनभूमि
vi	हरियाली का घनत्व	> 0-5
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.आर.एल–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रकरण में सड़क के सामानांतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जावेगी, किसी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।
viii	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां एवं सोनहत में स्थल सड़क के सामानांतर भूमि होने के कारण मृदा भू–क्षरण होने की संभावना नहीं है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां एवं सोनहत में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही भाग है
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां) अनुबंधित की जाये)	नहीं

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/ 1674 नया रायपुर, दिनांक 14/09/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Korea Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.746 ha. regarding**

पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/43110/2019

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/मा.चि./ न. क्र. /–131/ 2020/ 1255 दिनांक 24.08.2020

x x x x x

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वन मंडल अंतर्गत सोनहत एवं खड़गवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.248 हे., आरक्षित वन भूमि 2.432 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.066 हे. कुल 4.746 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:–** प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/OFC/42198/2019 आवंटित किये गये है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रु. 24,000/– जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	2
3.	**वन क्षेत्र विवरण:–** कोरिया वन मंडल अंतर्गत सोनहत एवं खड़गवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.248 हे., आरक्षित वन भूमि 2.432 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.066 हे. कुल 4.746 हे.वनभूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है।	3-8
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरण:–** भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने जायेगी, जिसमें प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 18.004 हे. है।	9

कार्यालय प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):– प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि मे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नही है तदाशय का वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	76
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/एफ़सी 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):– आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कोरिया द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 06.12.2019 द्वारा जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।	77-78
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):– प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कोरिया के पत्र क. 9940/ रीडर/शाखा/ 2019 दिनांक 06.12.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है।	79-81
20.	पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):– प्रस्ताव के पेज क्रमांक 82 में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है।	82
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:– ऑप्टिकल फायबर केबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से ओ.एफ.सी. लाईन गुजरने की स्थिति मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा की आवश्यकता नही है।	83 -128

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियो में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115–829/1793 रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ

विषय: – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ओ.एफ.सी. लाईन के प्रकरण में जानकारी प्रदाय करने बाबत्

संदर्भ: छत्तीसगढ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–8/ 2020/ 10–2 दिनांक 21.09.2019

×××××

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, अवलोकन हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न।

छत्तीसगढ शासन, वन विभाग द्वारा महासमुन्द वन मंडल के भारत नेट के ओ.एफ.सी लाईन के प्रकरण में संदर्भ पत्र के बिन्दु क्रमांक – 3 मे दर्शाये अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाही गई है।

चूंकि भारत नेट के ओ.एफ.सी. लाईन के प्रकरण लगभग सभी वन मंडलों में पंजीकृत है या प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।

भविष्य में प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में समावेश कर इस कार्यालय को प्रेषित करें। जो प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है उसके लिए भी संदर्भ पत्र के बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार जानकारी तैयार कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

संलग्न:– संदर्भ पत्र की छाया प्रति 01 पृष्ठीय

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115–829/1794 रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ को पालनार्थ।

संलग्न:– संदर्भ पत्र की छाया प्रति 01 पृष्ठीय

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ

Scanned with CamScanner

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

6th Floor, Vayu Wing
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bag Road, Aliganj
New Delhi 110 003
Date: 19th Feb 2018

F.No. 6-175/2017 WL

To

All State / UT Principal Secretaries and Chief Secretaries
Forest and Environment Department

Sub: Guidelines for sanctioning proposals on laying of underground drinking water pipeline and optical fiber cables (OFC) inside Protected Areas- regd.

Sir,

Ministry had received a proposal from the Chief Wildlife Warden (CWLW) of Gujarat for delegation of powers for sanctioning proposals on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables falling inside the Protected Areas (PAs) to the CWLWs of States / UTs. The matter was examined in the Ministry and placed before the Standing Committee of National Board for Wildlife (NBWL) for consideration. The matter was considered by the Standing Committee of NBWL in its 45th and 46th meetings. The Standing Committee recommended delegating its powers for sanctioning proposals on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables along the right of way of these roads inside the National Parks, Wildlife Sanctuaries and Tiger Reserves or any other Protected Area notified under the Wildlife (Protection) act, 1972 to the State Board for Wildlife to the State Board for Wildlife (SBWL) subject to the following conditions.

[1] The size of the trench will not exceed more than 2.0 m depth and 1.0 m width;
[2] The user agency agrees to make good the land after use / maintenance;
[3] The user agency agrees to make good any loss to forest / environment;
[4] The user agency seeks permission from the State Forest Department for carrying out any maintenance;
[5] The diameter of drinking water pipeline will not exceed 4 inches in diameter
[6] No civil structures will be built with the laying of drinking water pipeline and optical fiber cables;
[7] The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way;
[8] The State Government / Union Territories shall ensure that the length of the trench dug at a time does not exceed 500 m which shall be filled up and compacted before digging next stretch of 500 m;
[9] The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work of on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the Pas after taking into account all the factors/issues involves in the work;
[10] The user agency shall provide water supply points within the PAs if demanded by the Chief Wildlife Warden or in-charge of PA but not more than per sq.km;

Scanned with CamScanner